ISSN : 2347-7660 (Print) | ISSN : 2454-1818 (Online)

भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा–एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 जयसिंह यादव

आकाशवाणी के सामने, ठाटीपुर गाँव,
गाँधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.), भारत–474002

किसी भी सभ्य समाज की स्थिति का आंकलन उस समाज में महिलाओं की स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। महिलाओं की स्थिति में समय–समय पर देशकालः के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। समय के साथ–साथ भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन आये जिससे महिलाओं की स्थिति में दिन–प्रतिदिन गिरावट आती गई। जिस समाज में महिलाओं की उपेक्षा और जुल्म का शिकार होती हैं वह समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। महिला और जुल्म इन दोनों का आपस में बहुत ही गहरा सम्बन्ध रहा है मानव सभ्यता का विकास जैसे–जैसे होता गया वैसे–वैसे महिला का शोषण भी बढ़ता गया। पूर्व वैदिक काल के मातृत्व समाज ने जैसे ही करवट ली और सत्ता पुरूष प्रधान होते ही महिलाओं की स्थिति बदत्तर होती चली गई। विश्व के अधिकांश देशों में पुरूष प्रधान समाज है। पुरूष प्रधान समाज में सत्ता पुरूष के हाथ में रहने के कारण सदैव ही पुरूषों ने महिलाओं को दोयम दर्जे का स्थान दिया है यही कारण है कि पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति अपराध को कम महत्व देने तथा उनका शोषण करने की भावना वलबती रही है।

प्राचीनकाल में महिलाओं की स्थिति व्यवहारिक जीवन में पुरूषों की तुलना में श्रेष्ठ रही है। शास्त्रों में उनका दर्जा उच्च रहा है सन् 700 के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति मुस्लिम आततायियों के कारण दिन–प्रतिदिन दयनीय होती चली गई है।''[2]

मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति में अधिक गिरावट देखने में आई। भारत में सती प्रथा, बालविवाह, पर्दाप्रथा, सामाजिक जीवन का हिस्सा बन गई। यही नहीं बल्कि राजस्थान के राजपूतों की बात करें तो इनमें जौहर प्रथा प्रचलन में थी। इसके अलावा भारत के कई क्षेत्रों में देवदासियों को यौन शोषण का शिकार होना पड़ता था। इन सभी परिस्थितियों के बावजूद महिलाओं ने जीवन की प्रत्येक गतिविधि में सफलता हासिल की।

आधुनिक काल में महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र शिक्षा, राजनीति, कला सांस्कृतिक विज्ञान में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेकर अपने परिवार व समाज का नाम रोशन कर रही हैं। आधुनिक काल में महिलाओं को ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति को जन्म से समान, स्वतंत्रता तथा समान अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कानून हैं फिर भी महिलाओं के प्रति हिंसा में कमी की बजाए बढ़ोत्तरी होती जा रही है।

हिंसा के कारण

महिलाओं के प्रति हिंसा की जड़े हमारे समाज व परिवार की गहराई में जमी हुई है महिला के प्रति हिंसा के प्रमुख कारणों में समतावादी शिक्षा का अभाव, महिलाओं के चरित्र पर संदेह, शराब की लत, ईर्ष्या, अहंकार तथा घरेलु हिंसा प्रमुख कारण है इन सब कारणों के अलावा यौन इच्छा, दहेज प्रथा तथा रूढ़िवादी विचारधारा, जिसमें पुत्र

को अधिक महत्व देना, तथा दूषित सामाजिक वातावरण महिला के प्रति हिंसा को प्रेरित करती है।

भारत में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के आंकड़े

भारतीय समाज में जैसे–जैसे आधुनिकता का विस्तार हुआ वैसे–वैसे महिलाओं के प्रति संकीर्णता का भाव भी बढ़ता चला गया। आधुनिक समाज में महिला मात्र भोग्या बनकर रह गई है। तथाकथित मानसिकता का परिणाम यह है कि महिलाओं के प्रति छेड़छाड़, बलात्कार, अनैतिक व्यापार, दहेज, मृत्यु, यौन उत्पीड़न, घरेलु हिंसा जैसे अपराधों में निरन्तर वृद्धि होती चली गई। ''2015–16 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ सर्वेक्षण (NFHSU) स्पष्ट किया गया कि भारत में 15–49 आयु वर्ग की 30 फीसदी महिलाओं को 15 साल की आयु से ही शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है साथ ही उसी वर्ग की 6 फीसदी महिलाओं को उनके अपने जीवन काल में कम से कम एक बार यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है।''

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने के बावजूद भी 2014 में प्रतिदिन 100 महिलाओं का बलात्कार हुआ और 364 महिलाएं यौनशोषण का शिकार हुई. रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में केंद्रशासित और राज्यों को मिलाकर कुल 36735 मामले दर्ज हुए. यह भी तथ्य उजागर हुआ है कि हर वर्ष बलात्कार के मामले में वृद्धि हुई है. यानी इसका मतलब यह हुआ कि महिला अत्याचार विरोधी कानून का खौफ नहीं है या यूं कहें कि कानून का ईमानदारी से पालन नहीं हो रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है. आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2004 में बलात्कार के कुल 18233 मामले दर्ज हुए जबकि वर्ष 2009 में यह आंकड़ा बढ़कर 21397 हो गया. इसी तरह वर्ष 2012 में 24923 मामले दर्ज किए गए और 2014 में यह संख्या 36735 हो गयी. गौर करें तो 2014 का आंकड़ा वर्ष 2004 के मुकाबले दोगुनी है. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर गौर फरमाएं तो पिछले वर्ष के रिकार्ड के अनुसार महिलाओं के लिए मध्यप्रदेश सबसे अधिक असुरक्षित राज्य के रुप में उभरा है. पिछले वर्ष यहां सबसे अधिक 5076 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए. इसी तरह राजस्थान में 3759, उत्तरप्रदेश में 3467, महाराष्ट्र में 3438 और दिल्ली में 2096 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए।''[1] आमतौर पर राजनीतिकों द्वारा बिहार में जंगलराज की बात कही जाती है. लेकिन गौर करें तो यह राज्य महिलाओं की सुरक्षा के मामले में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से बेहतर है. आंकड़ों से उजागर हुआ है कि 2014 में बिहार में बलात्कार के कुल 1127 मामले दर्ज हुए. आमतौर पर बलात्कार के कारणों में अशिक्षा को भी जिम्मेदार माना जाता है. लेकिन विडंबना है कि संपूर्ण साक्षरता के लिए जाना जाने वाला राज्य केरल में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं. यहां पिछले वर्ष 1347 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले दर्ज किया गये।

''महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रशासित राज्य बेहतर हैं. रिपोर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम और नगालैंड दूसरे स्थान पर है. इसी तरह दमन और दीव तथा दादर नगर हवेली भी महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान है. देश के अधिकांश राज्य महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील और असुरक्षित हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी कि महिलाएं सिर्फ सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर ही असुरक्षित नहीं है. बल्कि वह अपने घर–परिवार और रिश्ते–नातेदारों की जद में भी असुरक्षित हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो उद्घाटित कर चुका है रिश्तेदारों द्वारा बलात्कार किए जाने की घटनाओं में

अप्रत्याशित रुप से वृद्धि हुई है. दुष्कर्म की घटनाओं में तकरीबन 95 फीसदी मामलों में पीड़ित लड़की दुष्कर्मी को अच्छी तरह जानती–पहचानती है फिर भी उसके खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलती. शायद उसे भरोसा नहीं होता है कि कानून व समाज उसे दण्डित कर पाएगा।''[2]

''राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 2016 की क्राइम रिपोर्ट जारी कर दी है. जिसमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में किसी तरह की कमी देखने को नहीं मिली है. जहां 2014 के मुकाबले 2015 में औरतों के खिलाफ अपराध में 3 प्रतिशत की कमी देखी गई थी, वहीं 2016 में ये 2.9 प्रतिशत बढ़ गए हैं।''[3]

पिछली बार की ही तरह इस बार भी महिलाओं के प्रति अपराध के सबसे ज्यादा मामले पति और रिश्तेदारों के अत्याचार के रूप में सामने आए हैं. ऐसे एक लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें पिछली बार की तुलना में बहुत बड़ा बदलाव नहीं है. वहीं दूसरे नंबर पर महिलाओं से रेप की कोशिश और अन्य शीरीरिक उत्पीड़न शामिल हैं, जिनकी संख्या 84 हजार है। इसमें घूरने के 932 और पीछा करने के 7 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं।

महिलाओं के प्रति अपराध में तीसरे नंबर पर अपहरण के 64000 मामले हैं. 2015 के मुकाबले यह संख्या 4000 ज्यादा बढ़ी है। इसमें शादी के लिए अपहरण किये जाने के मामले सबसे ज्यादा है, जो कि करीब 33 हजार हैं।

रेप के दर्ज मामले 2015 के मुकाबले 2016 में बढ़े हैं। इसमें भी रेप करने वाले 94 प्रतिशत वे लोग हैं जो करीबी हैं. शादी का झांसा देकर रेप करने वाले मामले ज्यादा हैं, जिनकी संख्या करीब 10 हजार है. 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप के मामले में मध्यप्रदेश सबसे ऊपर है।

उपरोक्त आंकड़े यह बताते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध में लगातार वृद्धि होती जा रही है। यदि इस पर अंकुश न लगाया गया तो स्थिति इतनी भयावह हो जावेगी कि समाज में अराजकता पैदा हो जायेगी।

महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा को रोकने के कानूनी प्रावधान

भारतीय महिलाओं को अपराधों के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा उनकी सामाजिक दशाओं में सुधार करने के लिये अनेक कानून बनाये गये हैं इनमें अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, सती निषेध अधिनियम 1987, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिकनयम 1950, घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 प्रमुख हैं। आंकड़ें बताते है कि इन कानूनों की मौजदूगी में ही महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की दर कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। ये कानून तभी प्रभावी हो सकते हैं । जब महिलायें आगे आए और दोषियों के विरूद्ध मामले दर्ज कराएं। आमतौर पर बदनामी के डर से काफी बड़ी संख्या में ऐसे मामले दर्ज नहीं पाते। खासतौर पर तब जब पीड़िता को अपने ही परिवार के सदस्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी हो। ऐसे में महिलाओं को ही फैसला लेना होगा कि वे अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की शिकायत करती है और अपराधी को सजा दिलवाती है या चुप रहकर सहती रहेगीं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि महिलाओं के प्रति हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इस हिंसा को रोकने के लिए अनेक

कानून देश में विद्यमान हैं। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि देश में केन्द्र शासित प्रदेशों और जिन्हें हम पिछड़े प्रदेश में गिनते हैं। उनमें अपराध दर उतनी नहीं है जितने उत्कृष्ट प्रदेशों और महानगरों में है।

महिलायें कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग है। फिर भी इस पित्सत्तात्मक समाज में उसे हीनदृष्टि से देखा जाता है उस पर जुल्म किये जाते हैं कभी ऐसी परिस्थिति निर्मित की जाती है कि वह आत्महत्या करने पर विवश हो जाती है। आज महिलाओं के पिछड़ेपन के कई कारण है जिनमें से सबसे बड़ा कारण उनका अशिक्षित होना है यदि महिला शिक्षित किया जाये तो निश्चित रूप से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकेंगी और उस पर हो रहे अत्याचार के खिलाड़ खड़ी हो सकेंगी।

सुझाव

1. महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को रोकने के लिये महिलाओं की शिक्षा पर आंरभ से ही ध्यान देना चाहिये जिससे उन्हें जागरूक बनाया जा सके।
2. भारत में कानूनी रूप से लड़का–लड़की को समान रूप से दर्जा दिया गया है। दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिये।
3. पुत्रों का पालन पोषण शुरू से ही सुसंस्कृत रूप से करना चाहिये ताकि वे महिलाओं के प्रति आदर भाव रखे और उनका सम्मान करें। अर्थात समाजीकरण इस प्रकार किया जाये कि वे महिलाओं के प्रति आदर भाव रखें।
4. महिलाओं के प्रति हिंसा की शिकायत पर पुलिस को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिये ताकि उन्हें न्याय मिल सके।
5. गैर सरकारी संगठन (NGOS) को महिलाओं की सुरक्षा के सदैव प्रयास करना चाहिये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राम आहूजा (1998) महिलाओं के प्रति हिंसा रावत पब्लिकेशन (राजस्थान) जयपुर
2. अंसारी एम.ए. (2003) महिला एवं मानव अधिकार ज्योति प्रकाशन जयपुर
3. डॉ. राजकुमार नारी के बदले आयाम अर्जुन पब्लिकेशिंग हाऊस 2005
4. डॉ. राजनारायण स्त्री विमर्श और सामाजिक आन्दोलन , अखण्ड ज्योति
5. लहा डॉ. मंजू, अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न अर्जुन पब्लिशिंग नई दिल्ली 2010 पृष्ठ 6
6. डॉ. राजेन्द्र यादव, आदमी की निगाह में औरत, राजकमल प्रकाशन 2007 पृ.15

Websites :

- http://hi.m.wikkipedia.org
- http://orfonline.org
- http://ichowk.in
- http://hindi.news18.com

Copyright © 2017, Dr. Jai Singh Yadav. This is an open access refereed article distributed under the creative common attribution license which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

[1] ichowk.in
[2] वही
[3] hindi.news18.com